

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अगस्त-2022 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है:-

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दिनांक 22/08/2022 से 26/08/2022 तक	पीठ- 1 आगरा पीठ-3 लखनऊ	न्यायिक विभागीय
2	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	दिनांक 29/08/2022 से 31/08/2022 तक	अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० पीठ-2 आगरा	न्यायिक विभागीय
3	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर	दिनांक 08/08/2022 से 11/08/2022 तक	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० लखनऊ पीठ-4 कानपुर	न्यायिक विभागीय
4	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	दिनांक 01/08/2022 से 05/08/2022 तक	पीठ- 1 नोएडा पीठ-2 मेरठ	न्यायिक विभागीय
5	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	दिनांक 22/08/2022 से 26/08/2022 तक	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० लखनऊ पीठ-सहारनपुर	न्यायिक विभागीय
7	पीठ-मुरादाबाद	पीठ-मुरादाबाद	दिनांक 03/08/2022 से 05/08/2022 तक	पीठ- बरेली पीठ- मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
8	पीठ- बरेली	पीठ-बरेली	दिनांक 22/08/2022 से 24/08/2022 तक	पीठ- बरेली पीठ- मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
9	पीठ-झांसी	पीठ-झांसी	दिनांक 29/08/2022 से 31/08/2022 तक	पीठ- झांसी पीठ-1 आगरा	न्यायिक न्यायिक
10	पीठ-सहारनपुर	पीठ-सहारनपुर	दिनांक 29/08/2022 से 31/08/2022 तक	पीठ- 1 मेरठ पीठ- सहारनपुर	न्यायिक विभागीय
11	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	दिनांक 22/08/2022 से 25/08/2022 तक	पीठ-1 इलाहाबाद पीठ- 2 इलाहाबाद	न्यायिक विभागीय
12	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	दिनांक 01/08/2022 से 05/08/2022 तक दिनांक 22/08/2022 से 26/08/2022 तक	पीठ-1 वाराणसी पीठ- 5 वाराणसी पीठ- 3 वाराणसी पीठ- 4 वाराणसी	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय
13	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	दिनांक 22/08/2022 से 26/08/2022 तक	पीठ-1 गाजियाबाद पीठ-2 गाजियाबाद	न्यायिक विभागीय
14	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	दिनांक 01/08/2022 से 05/08/2022 तक	पीठ- 1 मेरठ पीठ- 2 नोएडा	न्यायिक विभागीय
15	पीठ-फैजाबाद	पीठ-फैजाबाद	दिनांक 29/08/2022 से 31/08/2022 तक	पीठ- गोरखपुर पीठ- फैजाबाद	न्यायिक विभागीय

ह० 13/07/22

(अरविन्द मलिक)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1005 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

(तरुण कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।